न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00110

1. रतना आयु 70 वर्ष आत्मज श्री उद्दा ।
2. लछमन आयु 62 वर्ष आत्मज श्री उद्दा ।
3. देव्या आयु 60 वर्ष आत्मज श्री उद्दा ।
4. मडया आयु 55 वर्ष आत्मज श्री उद्दा ।
5. दुर्गालाल आयु 33 वर्ष आत्मज श्री किशन ।
6. नेवा आयु 28 वर्ष आत्मज श्री किशन ।
7. भोजा आयु 25 वर्ष आत्मज श्री किशन ।
8. राम होशियार आयु 20 वर्ष आत्मज श्री किशन ।
9. गटू आयु 40 वर्ष पुत्री श्रीकिशन ।
10. भोजी आयु 27 वर्ष पुत्री श्री किशन ।
11. जशोदी आयु 16 वर्ष पुत्री श्री किशन नाबालिग जरिये सरंक्षक माता मन्नी बेवा श्रीकिशन ।
12. मन्नी आयु 60 वर्ष बेवा श्रीकिशन ।
13. मोरपाल आयु 33 वर्ष आत्मज श्री रामेश्वर जातियान गुर्जर निवासीगण ग्राम बोरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 26.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर

कथन किया कि ग्राम बोरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में कुल 07 किता की रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रतना, लक्ष्मण वगै0 के खाते दर्ज है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं खातेदार नारायण पुत्र रामसुख जाति गुर्जर निवासी कुन्हाडी का हिस्सा 1/2 दर्ज है । नारायण का स्वर्गवास लाऔलाद हो चुका है । खातेदार नारायण द्वारा अपनी 1/2 हिस्से की आराजी के बाबत् एक बेचाननामा दिनांक 15.04.1960 को वादीगण के पूर्वज उद्दा पुत्र श्री श्रवण के हक में निष्पादित कर कब्जा संभला दिया तब से ही वादीगण के पूर्वज काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । नारायण के लाऔलाद फौते हो जाने पर एक व्यक्ति कल्याण ने अपने आपको वारिस बताते हुए मूल खातेदार नारायण के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवा लिया । उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने हेतु वादीगण ने अपील प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 21.09.1987 को हो चुका है जिसमें अपील स्वीकार करते हुए उक्त इंतकाल को निरस्त कर दिया । कल्याण द्वारा एक दावा भी वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जो भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2008 को खारिज किया जा चुका है । राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में मूल खातेदार नारायण आत्मज रामसुख हिस्सा 1/2 दर्ज चला आ रहा है जो विलोपित किये जाने योग्य है।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में से नारायण के 1/2 हिस्से की भूमि की भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम नारायण के स्थान पर खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे एवं लघु सिंचाई योजना बडा नयागॉव के तहत अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि वादीगण को दिलायी जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2020 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2020 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा एक व्यक्ति कल्याण के नाम विवादित भूमि का नामान्तरकरण खुल जाने के बाबत् जिला कलक्टर बून्दी के यहॉ अपील पेश की थी जिसमें जिला कलक्टर बून्दी ने वादग्रस्त आराजी पर बेचाननामे के आधार पर अपीलान्ट का कब्जा माना था । इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय को विपरीत निष्कर्ष निकालने अथवा भिन्न विवेचन करने का क्षेत्राधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विरोधाभासी तथ्यों का अंकन किया है जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है । दस्तावेज इम्पाउण्ड हो जाने पर दस्तावेज को मूल बेचाननामे के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है । इस कारण इस कानूनी बिन्दु को अधीनस्थ न्यायालय ने सही रूप से नहीं समझकर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि उक्त निर्णय एवं डिक्री लॉक डाउन के समय हुआ था जिसकी जानकारी माह जून, 2020 में हुई । नकल का आवेदन दिनांक 22.06.2020 को किया गया

और दिनांक 01.07.2020 को नकल प्राप्त हुई । अपीलान्ट कोराना महामारी के कारण लॉक डाउन होने से उक्त अपील समय पर पेश नहीं कर सके । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी कुल 07 किता की रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम बोरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है । राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के अलावा मोरपाल, रामेश्वर पुत्र उदा हिस्सा 1/2, नारायण पुत्र रामसुख गुर्जर हिस्सा 1/2 दर्ज है । इनमें से रामश्वेर का स्वर्गवास हो चुका है उनके एकमात्र वारिस मोरपाल पुत्र रामेश्वर है । नारायण लाऔलाद फौत हो चुका है । नारायण के द्वारा अपने 1/2 हिस्से की भूमि के बाबत् एक बेचाननामा सन् 1960 में वादी क्रम 1 लगायत 4 के पूर्वज उदा पुत्र श्रवण गुर्जर के हक में निष्पादित किया था तभी से वादीगण के पूर्वज वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उदा जी का स्वर्गवास हो चुका है । वादीगण वादग्रस्त आराजी पर अनवरत रूप से बरोकटोक काबिज काश्त हैं । नारायण के लाऔलाद फौत हो जाने पर एक अन्य व्यक्ति ने स्वयं को नारायण का वारिस बताते हुए वादग्रस्त आराजी अपने खाते में दर्ज करवा ली । इस इन्द्राज को निरस्त करने के लिए वादीगण ने अपील पेश की जो स्वीकार की जाकर इंतकाल को निरस्त किया गया है । कल्याण के द्वारा एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का वादीगण के खिलाफ पेश किया था जो सन् 2005 में खारिज हो चुका है । जिला कलक्टर के निर्णय से वादीगण के कब्जे की पुष्टि होती है । वादीगण एवं मूल खातेदार की आराजी सिंचाई योजना के लिए अवाप्त कर ली गई है जिसकी मुआवजा राशि प्राप्त करने का वादी अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की थी और दावा वादी त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया गया है । बेचाननामे को सक्षम अधिकारी द्वारा इम्पाउण्ड किया गया है फिर भी दावा वादी खारिज किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी के पक्ष में कोई पंजीकृत विक्रय पत्र नहीं है जिसके अभाव में राजस्व न्यायालय के द्वारा हक घोषणा की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । नामान्तरकरण की अपील स्वीकार हो जाने के आधार पर भी वादी को कोई अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2020 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक अपंजीकृत तहरीर की प्रति पेश की है जो न तो पंजीकृत है और न ही पूर्ण मुद्रांकित है । नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 प्रदर्श–1 पेश किया है जिसके अनुसार कुल 07 किता की रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा आराजी रामेश्वर, रतना, लक्ष्मण, देव्या, मडया पि0 उदा हिस्सा 5/12, दुर्गालाल, नेवा, भोजा, रामहोशियार पि0 श्रीकिशन, गट्टू, भोजी, जशोदी पुत्रियॉ श्रीकिशन मन्नी बेवा श्रीकिशन हिस्सा 1/12 व नारायण वल्द रामसुख हिस्सा 1/2 दर्ज है । सहायक कलक्टर (मुख्यालय) बून्दी के निर्णय दिनांक 29 जुलाई, 1989 की प्रति प्रदर्श–2, सहायक कलक्टर (मुख्यालय) बून्दी की आदेशिका की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–3, जिला कलक्टर बून्दी के निर्णय दिनांक 21.09.1987 की फोटो प्रति प्रदर्श–4, 80 सीपीसी के नोटिस की प्रति प्रदर्श–5, डाक विभाग की रसीदें प्रदर्श– 6 व 7, डाक विभाग की पावती प्रदर्श– 09 व 10 पेश की गई हैं ।

12. वादी की ओर से बयान मोरपाल कराये गये हैं इसके अलावा जयराम, मथुरालाल का शपथ पत्र भी पेश किया गया है परन्तु उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्रों की ताईद नहीं करवायी है ।

13. वादी के द्वारा यह कथन करते हुए सरकार के खिलाफ दावा पेश किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में जो 1/2 हिस्सा दर्ज है उसके खातेदार नारायण वल्द रामसुख की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु लाऔलाद हुई है और उनके द्वारा एक विक्रय पत्र सन् 1960 में वादीगण के पक्ष में लिखा है । पत्रावली पर जो तहरीर की फोटो प्रति संलग्न की गई है वो अपंजीकृत है और अमुद्रांकित है । ऐसी तहरीर के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादी के द्वारा दूसरा कथन कब्जे के बाबत् किया गया है । जहॉ तक कब्जे का प्रश्न है यदि वादी के कथन को सही मान लिया जावे कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा है तो भी माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच आरबीजे (18) 2011 पेज 388 और माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के निर्णय के द्वारा यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादीगण खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । जहॉ तक नामान्तरकरण की अपील में नामान्तरकरण के निरस्त करने का प्रश्न है नामान्तरकरण खोला जाना एक फिसकल प्रक्रिया होती है जिससे पक्षकारान के हक एवं स्वत्व तय नहीं होते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2020 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/00110

1. रतना आयु 70 वर्ष आत्मज श्री उद्दा ।
2. लछमन आयु 62 वर्ष आत्मज श्री उद्दा ।
3. देव्या आयु 60 वर्ष आत्मज श्री उद्दा ।
4. मडया आयु 55 वर्ष आत्मज श्री उद्दा ।
5. दुर्गालाल आयु 33 वर्ष आत्मज श्री किशन ।
6. नेवा आयु 28 वर्ष आत्मज श्री किशन ।
7. भोजा आयु 25 वर्ष आत्मज श्री किशन ।
8. राम होशियार आयु 20 वर्ष आत्मज श्री किशन ।
9. गटू आयु 40 वर्ष पुत्री श्रीकिशन ।
10. भोजी आयु 27 वर्ष पुत्री श्री किशन ।
11. जशोदी आयु 16 वर्ष पुत्री श्री किशन नाबालिग जरिये सरंक्षक माता मन्नी बेवा श्रीकिशन ।
12. मन्नी आयु 60 वर्ष बेवा श्रीकिशन ।
13. मोरपाल आयु 33 वर्ष आत्मज श्री रामेश्वर जातियान गुर्जर निवासीगण ग्राम बोरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2020 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 60/दावा/2018

1. रतना आयु 70 वर्ष आत्मज श्री उद्दा ।
2. लछमन आयु 62 वर्ष आत्मज श्री उद्दा ।
3. देव्या आयु 60 वर्ष आत्मज श्री उद्दा ।

4. मडया आयु 55 वर्ष आत्मज श्री उद्दा ।
5. दुर्गालाल आयु 33 वर्ष आत्मज श्री किशन ।
6. नेवा आयु 28 वर्ष आत्मज श्री किशन ।
7. भोजा आयु 25 वर्ष आत्मज श्री किशन ।
8. राम होशियार आयु 20 वर्ष आत्मज श्री किशन ।
9. गटू आयु 40 वर्ष पुत्री श्रीकिशन ।
10. भोजी आयु 27 वर्ष पुत्री श्री किशन ।
11. जशोदी आयु 16 वर्ष पुत्री श्री किशन नाबालिग जरिये सरंक्षक माता मन्नी बेवा श्रीकिशन ।
12. मन्नी आयु 60 वर्ष बेवा श्रीकिशन ।
13. मोरपाल आयु 33 वर्ष आत्मज श्री रामेश्वर जातियान गुर्जर निवासीगण ग्राम बोरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

––वादी

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे

2. यह अपील तारीख 26.02.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र जैन एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2020 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 26.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

26/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा